

MOST URGENT

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF POWER)
DELHI SECRETARIAT 8TH LEVEL, B-WING,
I.P.ESTATE NEW DELHI – 110002

No.F.11(137)/ VS/2019/Power/3642

Dated: 28-11-2019

To

✓ The Dy. Secretary (Legislation),
Question Branch,
Delhi Vidhan Sabha,
Old Secretariat
Delhi – 110054

Sub: Starred Question No.23

Sir,

Please find enclosed copy of reply of the Starred Question No.23 for 03.12.2019 (100 Copies each along with a data in PDF File Format in pen drive) for your kind information and further necessary action at your end please.

Yours faithfully,

Encl. As above


(J.S.RANA)

Dy. Secretary (Power)

Copy to:-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity Department, Delhi Vidhan Sabha, Old Secretariat, Delhi - 110054 (150 Copies)
2. The OSD to Minister of Power, GNCTD

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय

तारांकित प्रश्न संख्या:-23


दिनांक:-03.12.2019

प्रश्नकर्ता का नाम:-श्री महेंद्र यादव

क्या माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या घनी आबादी वाली अनधिकृत कॉलोनियों में स्थान की कमी के कारण ट्रांसफॉर्मर लगाने में आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार की कोई कार्ययोजना है;	डीईआरसी ने सूचित किया है कि डीईआरसी (आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक) विनियम, 2017 के विनियम 22 के अनुसार, ग्रिड उप-स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, सर्विस लाइन, मीटर और अन्य उपकरणों की स्थापना के लिए स्थान, डेवलपर, अथवा लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करने वाला आवेदक द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, यदि किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट डेवलपर नहीं है, तो मौजूदा वितरण प्रणाली के संवर्द्धन के लिए ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर आदि के लिए लोड की मांग को पूरा करने के लिए, वितरण लाइसेंसधारी दिल्ली सरकार, जीएनसीटीडी से संपर्क करेगा।
ख)	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;	बिजली वितरण कम्पनियों ने सूचित किया है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ब्रेकडाउन टीमों और वाहनों को 24x7 नियुक्त किया गया है और मोबाइल ट्रांसफॉर्मर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली में ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए समय-समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय उर्जा मंत्री एवं उर्जा सचिव द्वारा विधायकों, बिजली वितरण कम्पनियों व लैण्ड ओवनिंग एजेंसियों (Land Owning Agency) के साथ मिटिंग की गई है। बिजली वितरण कम्पनियों ने सूचित किया है कि ट्रांसफॉर्मरों को लगाने के लिए स्थान की पहचान हेतु संबंधित नागरिक एजेंसियों और संबंधित विधायकों / आरडब्ल्यूए के साथ समन्वय करके क्षेत्र का दौरा किया जाता है।
ग)	यदि नहीं, तो सरकार द्वारा 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
घ)	सरकार द्वारा ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने के लिए स्थाई स्थान प्रदान किए जाने के लिए क्या उपाय/कदम उठाए गए हैं?	उपरोक्त क) एवं ख) के अनुसार

सूचना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित है।


(जे.एस.राणा)
उप-सचिव (सर्वा)
Deputy Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi